

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 160/14

संस्थापन दिनांक:-10/03/14

फाईलिंग नं. 233504004232014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. सुन्दर पिता छोटे इवने, उम्र 55 वर्ष
 2. शंकर पिता दीवान कड़वे, उम्र 50 वर्ष
- दोनों निवासी पोही, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 08.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28.02.2013 को 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम पोही फरियादी के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत मल्लोबाई को धक्का मुक्की कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2014 को दोपहर करीब 11 बजे फरियादी के घर के सामने अभियुक्तगण आपस में गाली गलौच कर रहे थे जिस पर उसने अभियुक्तगण को उसके घर के सामने चिल्लाने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसे कहा कि मादरचोद तू समझाने वाला कौन होता है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे तथा अभियुक्त शंकर ने लठ से उसके सिर के दाहिनी तरफ मारा एवं सुंदरलाल ने लकड़ी से बांये तरफ कंधी व पीठ पर मारा जिससे उसे चोटें आयी। झगड़ा का बीच बचाव करने मल्लोबाई आयी तो अभियुक्त सुंदर ने उसके साथ मारपीट किया जिससे उसे दोनों तरफ आंखों के नीचे चोट आयी। अभियुक्तगण ने फरियादी को रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 184/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी गुड्डू का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु आहत मिल्लोबाई के फौत होने से उसके संबंध में अभियुक्तगण पर लगे धारा 323/34 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण का विचारण अग्रसर किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28.02.2013 को 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम पोही फरियादी के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत मिल्लोबाई को धक्का मुक्की कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 साक्षी दीना (अ.सा.-1) एवं कामुलाल (अ.सा.-2) अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण को जानना व्यक्त करते हुए प्रकट किया है कि घटना ग्राम पोही स्थित उनके घर के सामने की है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी इन साक्षियों ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

7 प्रकरण में फरियादी गुड्डू द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया गया है तथा आहत मिल्लोबाई के फौत हो जाने के कारण अभियोजन की ओर से उसे परिक्षीत नहीं कराया जा सका है। न्यायालय में मात्र साक्षी दीना (अ.सा.-1) एवं कामुलाल (अ.सा.-2) को परिक्षीत कराया गया है जिन्होंने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत मिल्लोबाई को धक्का मुक्की कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण सुन्दर एवं शंकर को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)